

झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लि०

लघु वन पदार्थ परियोजना

परिवहन अनुज्ञा प्रपत्र - १

वर्ष : (1 अप्रैल से 31 जुलाई तक)

पुस्तिका संख्या

पृष्ठ सं.

प्रमण्डल

क्षेत्र

दिनांक

१. फाई/अस्थाई गोदाम का नाम जहाँ से
केंद्रु पत्ता बोरों निर्गमन किया जा रहा है

२. मन्तव्य स्थान (केंद्रीय गोदाम) का नाम

स्थान एवं पता (मार्ग सहित)

३. परिवहन किये जाने वाले केंद्रु पत्ता बोरों का विवरण

क) युनिट का नाम

ख) फाई/ अस्थाई गोदाम का नाम

ग) वास्तविक बोरों की संख्या

घ) वास्तविक बोरों का क्रमांक

ङ.) पौली की संख्या

च) मानक बोरों का संख्या

४. निर्गमन की तिथि एवं समय

५. वाहन का विवरण

६. गन्तव्य स्थान (केंद्रीय गोदाम) पर प्राप्तकर्ता

का नाम तथा हस्ताक्षर तिथि सहित

७. अनुलग्नक पृष्ठ संख्या

संयोजक/केंद्र प्रभारी का हस्ताक्षर

वाहन चालक का हस्ताक्षर

निर्गत करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

झारखण्ड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि०

परिवहन अनुज्ञा पत्र फारम . 2

(नियम 4 देखिये)

पुस्तिका सं०

पृष्ठ सं०

परिवहन अनुज्ञा पत्र . 2

(एक संवय गोदाम से दूसरे संवय गोदाम या विक्रय केन्द्र तक)

वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक)

1. क्रेता का नाम
2. यूनिट सं० डिवीजन
3. वन पदाधिकारी का प्राधिकार पत्र सं०
तारीख प्रति निर्देश।
4. मात्रा और अवधि जिसके लिए उपर्युक्त 3 के अधीन प्राधिकार पत्र जारी किया गया।
(क) वास्तविक बोरा (ख) मानक बोरा
(ग) वजन (किलोग्राम में)
5. मात्रा जिसका परिवहन उपर्युक्त प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत पहले कर दिया गया हो।
(क) वास्तविक बोरा (ख) मानक बोरा
(ग) वजन (किलोग्राम में)
(बोरो की क्रम संख्या और बोरो की मात्रा दीजिए)
6. गोदाम का नाम, स्थान एवं पता जहाँ से परिवहन हो रहा है
7. गोदाम का नाम, स्थान एवं पता जहाँ परिवहन किया जा रहा है
से तक
8. परिवहन मार्ग
9. जॉय स्थान
10. अनुज्ञा पत्र तारीख समय तक मान्य है।
11. चालान संख्या एवं तिथि
12. ट्रक संख्या
13. ट्रक चालक का नाम

टिप्पणी : जब तक प्रभागीय वन पदाधिकारी द्वारा लिखित रूप से अन्यथा प्राधिकृत न किया जाय अवधि 48 घण्टे से अधिक न होगी।

वहन वास्तु का संख्या तारीख के साथ	गोदाम प्रभारी का संख्या तारीख के साथ	निर्दिष्ट इन्स्पेक्टर अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्ति का ह० तारीख के साथ	जॉय परीक्षण अधिकारी का ह० एवं तिथि
नाम	नाम	नाम	नाम
स्थान	स्थान	स्थान	स्थान

परिवहन अनुज्ञा पत्र - 3

[बिहार वन उपज (व्यापार अधिनियम) नियमावली 1993 नियम 17/1 देखिये]

(संरक्षण कोड अंडरफ्त जोदाज से राज्य के भीतर के किसी स्थान तक)

वर्ष

पुस्तिका से०

1. क्रेता का नाम
2. यूनिट क्रमांक के संबंध में प्रमंडल
3. वन उपज का नाम
4. वन प्रमंडल पदाधिकारी के प्राधिकार का निर्देश क्रमांक
तारीख
5. वह मात्रा तथा कालावधि जिसके लिए मद्र 3 में प्राधिकार पत्र जारी किया गया है

वास्तविक पैकेज संख्या क्विंटल

कि. ग्राम घनमीटर

6. उपर्युक्त प्राधिकार के अधीन पूर्व में वास्तविक परिवहन की गई मात्रा

पैकेज की संख्या क्विंटल

कि. ग्राम घनमीटर

7. इस अनुज्ञा-पत्र पर परिवहन की जानेवाली पैकेजों की संख्या तथा वास्तविक मात्रा (पैकेजों का अनुक्रमांक तथा प्रत्येक पैकेज की मात्रा दीजिए) अन्य के लिए मात्रा (घनमीटर) पूर्ण विवरण के साथ

8. स्थान से तक।

9. परिवहन की रीति

10. परिवहन का मार्ग

11. जाँच पड़ताल करने का स्थान

12. अनुज्ञा पत्र (तारीख) तक विधि मान्य है।

टिप्पणी :- जब तक वन प्रमंडल पदाधिकारी/प्रमंडलीय प्रबंधक द्वारा लिखित रूप में अन्यथा प्राधिकृत न किया जाये, कालावधि 48 घंटे से अधिक न होगी।

कार्यालय मोहर

स्थान

तारीख

जारी करने वाले पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं दिनांक

जाँच पड़ताल करने वाले का
हस्ताक्षर तारीख तथा पद सहित

पुस्तिका संख्या : पृष्ठ संख्या :

परिवहन अनुज्ञा पत्र : 4
(राज्य के वाहन परिवहन के लिए)

वर्ष :

1. श्री/सर्वश्री..... जो
डिवीजन..... का यूनिट संख्या.....
के क्रेता हैं को..... से..... तक
सड़क द्वारा और वहाँ से..... तक रेलगाड़ी
द्वारा..... वास्ताविक बोरों में पैक किये गये
मानक बोरों, वजन.....

किलोग्राम केन्द्र पत्तों को ले जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

2. चालान संख्या तिथि एवं समय.....
3. गोदाम का नाम एवं पता जहाँ से परिवहन किया जा रहा है।
.....
4. झारखण्ड राज्य के बाहर प्रेषिती की नाम और पता.....
5. गोदाम का नाम एवं पता जहाँ परिवहन करके पतियों का भंडारण किया जायगा।
.....
6. अनुज्ञा पत्र तारीख..... तक मान्य है।
7. ट्रक संख्या.....
8. चालक का नाम.....
9. क्रेता अथवा उनके प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर.....

स्थान..... नाम.....

तारीख.....